


17.5.22

पत्रावली ~~के~~ आज प्रशासन शांको
के संग अधिष्ठाक केन्द्र को शा.पं.

फर्द अहकाम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>6.11.21 में पेश) मूल काद पत्र नोटिस के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इस स्थिति में यह सार्थक पत्र साबित होने पर इसी हत पर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.04.10 व 27.01.21 निरस्त की जाती है। पत्रावली फेलबशुमर इसके हरिवन दफ्तार हो।</p>	<p style="text-align: center;">  (विद्या सेवनिया) उपखण्ड अधिकारी घडसावा </p>